

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
वल्लभ भवन-III, डी विंग प्रथम तल
मंत्रालय, भोपाल-462004

दूरभाष नम्बर:- 0755-2708558 ई-मेल:- usnvdd91@gmail

क्रमांक एफ 31-21/2017/सत्ताईस-एक

भोपाल, दिनांक अप्रैल, 2022

प्रति,

उपाध्यक्ष,

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,

नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:- मोरण्ड-गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल का पत्र क्रमांक 36/73.13/27/न.नि.म./22
दिनांक 06/04/2022

--00--

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.10.2017 द्वारा मोरण्ड-गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 2813.00 करोड़ (रुपये दो हजार आठ सौ तेरह करोड़) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

2/- नर्मदा नियंत्रण मंडल की 73 वीं बैठक दिनांक 29/03/2022 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन द्वारा मोरण्ड-गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना सिंचाई क्षमता 64,111 हेक्टेयर हेतु लागत राशि रुपये 3517.80 करोड़ (रुपये तीन हजार पांच सौ सत्रह करोड़ अस्सी लाख मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(वर्षा सोलंकी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 2/अप्रैल, 2022

पृ0क्रमांक एफ 31-21/2017/सत्ताईस-एक

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
3. उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, नर्मदा घाटी विकास विभाग भोपाल।

निरंतर.....2..